

प्रमाण पत्र

मैं प्रतिपूरक वनीकरण तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण के लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु जो शर्तें भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा लगाई जायेगी मैं उसका अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभारी वन अधिकारी
मीरजापुर-वन प्रभागा
मीरजापुर

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

ई० कन्हैया झा
निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग
मीरजापुर
निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग
मीरजापुर